म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लि.,

मुख्यालय - भोपाल

क्रमांक/मिलिंग/114163/2022/ 76 भोपाल, दिनांक 22-4-22

प्रति,

1. एन.सी.डी.ई.एक्स. ई-मार्केट लिमिटेड (एन.ई.एम.एल.) भोपाल।
2. स्टार एग्री बाजार टेक्नोलॉजी लिमिटेड भोपाल।
3. एम. जंक्शन भोपाल।

विषय-: धान का निस्तारण ई-नीलामी के माध्यम से दिनांक 28.04.2022 को नियत समय पर किये जाने बावत।

संदर्भ-: 1. एन.ई.एम.एल. सहमति पत्र दिनांक 13.04.2022
2. स्टार एग्री बाजार टेक्नोलॉजी लिमिटेड सहमति पत्र दिनांक 13.04.2022
3. एम. जंक्शन सहमति पत्र दिनांक 13.04.2022

विषयांतर्गत कॉर्पोरेशन के पत्र के अनुक्रम में आपके द्वारा संदर्भित पत्रों के माध्यम से पृथक-पृथक ई-नीलामी कार्य हेतु सहमति प्रदान की गयी है। तदानुसार प्रथम ई-नीलामी दिनांक 28.04.2022 को कांट्रेक्ट नोट में उल्लेखित नियत समय अनुसार ई-नीलामी किया जाना है, समय सारणी निम्नवत है:-

ई-नीलामी की समय सारणी AUCTION SCHEDULE

Commodity	Season	Auction Time	Extension
Paddy	KMS 2020-21	12:00 to 12:45 PM	12:45 to 01:00 PM

संलग्न - यथोक्त।

(तरूण कुमार पिथोड़े)
प्रबंध संचालक

निविदा दस्तावेज

SCSC

खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में उपार्जित धान के विक्रय हेतु

ऑनलाईन निविदा दस्तावेज

मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड, मुख्यालय
ब्लाक-1,तृतीय तल, पर्यावास भवन, जेल रोड, भोपाल
mpscscmilling@gmail.com

मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोरेशन लिमिटेड

मुख्यालय- पर्यावास भवन, ब्लॉक- ए, तृतीय तल, जेल रोड, भोपाल - 462011

क्रमांक:

दिनांक:

<u>पोर्टल के माध्यम से ई-निविदा हेतु आमंत्रण</u>

राज्य शासन की उपार्जन एजेंसियों कार्पोरेशन/विपणन संघ द्वारा मध्यप्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में उपार्जित **1.68** लाख मे.टन धान को e-Auction के माध्यम से.. पोर्टल से ऑनलाईन ई-नीलामी प्रक्रिया हेतु .... द्वारा उपलब्ध कराया गया है जो नीलामी हेतु नियम व शर्तों के अनुसार है । **MPSCSC** धान के इच्छुक निविदाकारों से ई ऑक्शन के माध्यम से बोलियां आमंत्रित करता है। परिशिष्ट-1 में विक्रय हेतु उल्लेखित लॉट में से प्रत्येक लॉट के लिए पृथक-पृथक निविदा प्रस्तुत करना होगी ।

उक्त स्कंध के विक्रय हेतु पात्र इच्छुक निविदाकारों से निम्न विवरण अनुसार निविदाएं आमंत्रित किये जाने हेतु यह निविदा दस्तावेज है:-

1	Commodity for e-Auction	Paddy 2020-21
2	Quantity (MT)	1.68 LMT
3	Lot	98
4	Date	XX/04/2022
5	e-Auction Schedule	

Commodity	Season	Auction Time	Extension
Paddy	KMS 2020-21	12:00 to 12:45 PM	12:45 to 01:00 PM

निविदा विशिष्टियां -:

धान के विक्रय के लिये ऑक्शन हेतु निविदा विशिष्टियां :

Maximum Available quantity (in MT)	(1.68 LMT)
Trading Unit	1 MT
Price Quote	Rs/Quintal
Trading Quantity	As per lot quantity
Tick Size	1 Rs
Earnest Money (Refundable)	Escrow account provided by Portal
Price quote	Ex- warehouse without GST/Other Taxes
Gross/Net weight basis	Price quote is on Net weight basis
GST/Other Taxes	Shall be paid by buyer as applicable in addition to the price quote

1. **परिभाषाएं** - निविदा दस्तावेज में प्रयुक्त शब्दों की परिभाषाएं इस प्रकार है :-

1.1 शब्द **'निविदाकार'** से अभिप्रेत है ऐसा कोई भी व्यक्ति, संस्था, प्रोपराइटर/पार्टनरशिप फर्म, कंपनी अथवा अन्य कोई कानूनी इकाई हो सकता है जो खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में उपार्जित धान को क्रय करने के इच्छुक हो, जो कि शासन अथवा शासन के किसी भी उपक्रम की निविदा प्रक्रिया से ब्लैकलिस्ट नहीं हो।

1.2 शब्द **'कार्पोरेशन/निगम'** एवं मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन से अभिप्रेत कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन स्थापित मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड है, जिसमे कार्पोरेशन के मध्य प्रदेश में स्थित सभी जिला कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय एवं मुख्यालय सम्मिलित हैं।

1.3 शब्द **'विपणन संघ'** एवं मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित से अभिप्रेत को-ऑपरेटिव सोसायटी एक्ट 1960 के अंतर्गत पंजीकृत संस्था से है जो कि वर्ष 1956 से कार्यरत है । विपणन संघ के मध्य प्रदेश में स्थित सभी जिला कार्यालय, मण्डल कार्यालय एवं मुख्यालय सम्मिलित हैं।

1.4 शब्द **'प्रबंध संचालक'** कार्पोरेशन से अभिप्रेत है म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के प्रबंध संचालक।

1.5 शब्द **'प्रबंध संचालक'** विपणन संघ से अभिप्रेत है मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. के प्रबंध संचालक।

1.6 शब्द **'धान'** से अभिप्रेत है खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान ।

1.7 शब्द **'खाद्य पदार्थ/ खाद्यान/ स्कंध'** से अभिप्रेत है खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 की विक्रय हेतु उपलब्ध धान।

1.8 शब्द **'संग्रहण केन्द्र'** से अभिप्रेत है गोदाम, कैप स्टोरेज अथवा अन्य स्थान जहाँ कार्पोरेशन/विपणन संघ के द्वारा उपार्जित स्कंध का भंडारण कराया गया है।

1.9 शब्द **'गोदाम'** से अभिप्रेत है कार्पोरेशन से संबंधित भंडारण एजेन्सी यथा मध्य प्रदेश स्टेट वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन, सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन, म.प्र.राज्य सहकारी विपणन संघ के स्वयं/ किराये/ अनुबंधित गोदाम (गोदाम, कैप स्टोरेज आदि) सम्मिलित हैं।

1.10 शब्द **'वर्ष'** से अभिप्रेत वित्तीय वर्ष से है, बशर्ते इस निविदा की किसी कंडिका में वर्ष के सन्दर्भ में किसी अन्य रूप से उल्लेख न क़िया गया हो ।

1.11 शब्द **एक्स गोदाम डिलीवरी** से अभिप्रेत है भंडारण स्थल के स्टेक से बोरे को उठाकर ट्रक में लोड करने तक का हम्माली कार्य एवं तौल सम्बंधित समस्त प्रक्रिया का व्यय क्रेता द्वारा वहन करना ।

1.12 शब्द **'शुद्ध वजन' (Net Weight)** से अभिप्रेत है कि भंडारित स्कंध का जूट के खाली बारदाना का वजन 580 ग्राम प्रति बोरा, जूट के एक भर्ती खाली बारदाने का वजन 500 ग्राम प्रति बोरा अथवा PP/HDPE के खाली बारदाने का वजन 135 ग्राम प्रति बोरा के मान से कम करने पर प्राप्त शुद्ध वजन, जो कि क्रेता को विक्रय के समय गोदाम/भण्डारण स्थल से प्रदाय किया जाएगा।

1.13 शब्द **H-1** से अभिप्रेत है कि ई-ऑक्शन में लॉट विशेष के लिये प्राप्त उच्चतम दर ।

1.14 शब्द **राज्य स्तरीय समिति** से अभिप्रेत है कि खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में उपार्जित धान निस्तारण हेतु शासन द्वारा गठित समिति ।

1.15 शब्द **'सर्विस प्रोवाईडर'** से अभिप्रेत है ई-ऑक्शन सर्विस प्रोवाईडर ।

1.16 शब्द **'सुपर एच 1'** से अभिप्रेत है पेनलबद्ध सभी सेवा प्रदाताओं से ई-ऑक्शन में लॉट विशेष के लिये प्राप्त एच 1 दरों में से प्राप्त उच्चतम दर ।

2. <u>निविदा का उद्देश्य एवं कार्य क्षेत्र:-</u>

2.1 निविदा का उद्देश्य-

कार्पोरेशन/विपणन संघ द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में उपार्जित **1.68** लाख मे.टन धान जो विभिन्न भण्डारण स्थलों पर भण्डारित है, जिसका विक्रय ई-ऑक्शन प्लेटफार्म पर निविदा के माध्यम से **"जैसा है, जहाँ है" (As is where is)** के आधार पर किया जाना है। विक्रय किये गये धान का उठाव नियत समयावधि में पूर्ण राशि प्राप्त होने के उपरांत Ex-godown delivery के आधार पर किया जायेगा।

2.2.निविदा का कार्य क्षेत्र-

विक्रय हेतु उपलब्ध धान मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में गोदाम, कैप स्टोरेज में (परिशिष्ट-1अनुसार) भण्डारित है, का विक्रय ई-ऑक्शन के माध्यम से देश के सभी इच्छुक क्रेताओं से दरें आहूत कर किया जाना है । निविदा में सफल निविदाकारों को दरों के अनुमोदन उपरांत धान की ऑफर मात्रा को नियत समयावधि में उठाव करना होगा।

3. न्यूनतम अर्हताएं एवं अनिवार्य दस्तावेज विवरण:-

निविदा में भाग लेने के लिये निविदाकार को समस्त अर्हताएं अनिवार्य रूप से पूर्ण करनी होगी । अनिवार्य अर्हताओं की पूर्ति हेतु निम्न सभी दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा EMD की राशि भी अनिवार्यत: जमा करना होगी:-

क्र.	अनिवार्य अर्हताएं	अनिवार्य दस्तावेज
1	अपना परिचय व विवरण उद्घोषित करना होगा	निविदाकार का परिचय एवं संक्षिप्त विवरण हेतु निविदा दस्तावेज के **परिशिष्ट-02** को पूर्णत: भरकर संलग्न करें।
2	स्वामित्व फर्म संस्था/भागीदारी फर्म//कंपनी प्राईवेट /पब्लिक कंपनी / एच.यू.एफ. की स्थिति	निविदाकार को राज्य/ भारत सरकार/राज्य सरकार के प्राधिकरण के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निगमन प्रमाण पत्र/ पंजीकरण प्रणाम पत्र/ भागीदारी विलेख पत्र की स्वप्रमाणित प्रति के रूप में दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न करें।
3	आयकर विभाग से जारी स्थायी आयकर खाता का प्रमाण पत्र	आयकर स्थायी खाता क्रमांक (PAN कार्ड) की स्व-प्रमाणित हस्ताक्षरित छायाप्रति । निविदाकार द्वारा जिस नाम से निविदा में भाग लिया जा रहा है उसी नाम से पैन कार्ड होना अनिवार्य है।
4	GST का जीवित पंजीयन धारक हो	केन्द्र शासन के संबंधित विभाग द्वारा जारी राज्य /GST का जीवित पंजीयन की स्व प्रमाणित - हस्ताक्षरित छायाप्रति । GST का केवल Application मान्य नहीं होगा।
5	निविदाकार भारत सरकार/राज्य शासन या उनके किसी शासकीय/ अर्द्धशासकीय/ सार्वजनिक उपक्रम द्वारा ब्लैकलिस्टेड नहीं हो।	इस बाबत निविदाकार को निविदा दस्तावेज के परिशिष्ट - 04 में नोटराईज्ड अभिवचन देना होगा ।
6	फर्म/ पार्टनरशिपफर्म/ प्राईवेट कंपनी/ पब्लिक कंपनी/ पंजीकृत संस्था के निविदा में भाग लेने पर संबंधित फर्म/ पार्टनरशिप फर्म/ प्राईवेट कंपनी/ पब्लिक क़ंपनी/ पंजीकृत संस्था पार्टनरशिप / अविभाजित हिन्दु परिवार की तरफ से विधिक रूप से अधिकृत बाबत अधिकार पत्र/ मुख्यत्यारनामा	निविदाकार को निविदा दस्तावेज की कंडिका क्रमांक 7 में उल्लेख अनुसार यथा स्थिति दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।
7	निविदा दस्तावेज पर हस्ताक्षर	निविदाकार द्वारा इस निविदा दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर मय सील अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर सहित संलग्न करना अनिवार्य है।
8	मण्डी लायसेंस	मण्डी लायसेंस की छायाप्रति
9	बैंक डिटेल	कंपनी के लेटरहेड पर स्व प्रमाणित बैंक डिटेल
10	अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का परिचय पत्र	अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का परिचय पत्र की छायाप्रति
11	वार्षिक टर्न ओवर सर्टिफिकेट (वर्ष 2020-21)	सी.ए. द्वारा सत्यापित टर्न ओवर की छायाप्रति

3.1 मण्डी लायसेंस की अनिवार्यता -

निविदाकार को मण्डी लाईसेंस की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । उक्त मण्डी लायसेंस की स्वप्रमाणित प्रति हिन्दी/अंग्रेजी में नहीं होने पर, हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद कर एवं जारीकर्ता अधिकारी से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

जिन राज्यों में मंडी लायसेंस जारी किये जाने संबंधी व्यवस्था नहीं है। उन राज्यों के तदविषयक शासन द्वारा जारी आदेश की स्वप्रमाणित प्रति निविदाकारों को उपलब्ध कराना होगी । ऐसे पत्र की स्वप्रमाणित प्रति हिन्दी/अंग्रेजी में नहीं होने पर, हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद कर एवं जारीकर्ता अधिकारी से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

सफल निविदाकार को उक्त दस्तावेज स्कंध के उठाव के समय जिला प्रबंधक/जिला विपणन अधिकारी के समक्ष अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा । जिला प्रबंधक/जिला विपणन अधिकारी उक्त दस्तावेज प्राप्त होने के उपरांत ही स्कंध का उठाव करायेंगे ।

4. <u>निविदा प्रक्रिया :-</u>

निविदा का प्रथम भाग-

निविदा के लिये **<u>e-Auction portal</u>** पर निर्धारित तिथि एवं समय तक अनिवार्य अर्हता संबंधी समस्त दस्तावेज एवं निर्धारित ई.एम.डी. जमा करना होगा ।

निविदा का द्वितीय भाग (e-Auction)-

निविदा के द्वितीय भाग में निविदाकार को लॉटवार प्रति क्विंटल शुद्ध वजन दर **Auction** के माध्यम से ऑफर करना होगा । विक्रय हेतु प्रस्तुत खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में उपार्जित धान का रिज़र्व मूल्य **(Base price)** राशि रूपए **1681/-** (रूपये एक हजार छः सौ इक्यासी मात्र/-) प्रति क्विंटल निर्धारित है । उक्त निर्धारित रिज़र्व मूल्य से कम की बिड भी निविदाकार प्रस्तुत कर सकता हैं ।

5. स्कंध गुणवत्ता एवं विक्रय हेतु उपलब्ध मात्रा व लॉट का विवरण:-

5.1 विक्रय हेतु प्रस्तुत स्कंध खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में उपार्जित **1.68** लाख मे.टन धान FAQ धान है।

5.2 विक्रय हेतु उपलब्ध धान स्कंध को लॉट में बांटा गया है। लॉट में किन-किन जिलों के गोदाम/कैप स्टोरेज में भण्डारित धान की कितनी मात्रा को सम्मिलित किया है इसका सम्पूर्ण विवरण **परिशिष्ट-01** में उल्लेखित है।

5.3 निविदाकार एक से अधिक लॉट हेतु बोली प्रस्तुत कर सकते है एवं प्रत्येक लॉट की परिशिष्ट -01 में उल्लेखित पूर्ण मात्रा हेतु निविदाकार को पृथक-पृथक बोली प्रस्तुत करना होगी ।

6. स्कंध का निरीक्षण:-

6.1 इस निविदा के माध्यम से विक्रय किये जा रहे धान की लॉटवार सूची परिशिष्ट- 01 में उल्लेखित है। निरीक्षण हेतु इच्छुक निविदाकारों द्वारा संबंधित जिला कार्यालय/कार्यालयों में निरीक्षण हेतु अनुमति बाबत आवेदन प्रस्तुत करने पर सम्बंधित जिला प्रबंधक/प्रबंधको/जिला विपणन अधिकारियों द्वारा निरीक्षण हेतु अनुमति पत्र निर्धारित प्रारूप **(परिशिष्ट-03)** में जारी किया जायेगा । इस अनुमति पत्र के आधार पर निविदा कार स्वयं या अपने अधिकृत प्रतिनिधि, के द्वारा निविदा प्रकाशन से आगामी 03 कार्यालयीन दिवस एवं समय में लॉट का अवलोकन/निरीक्षण कर सकेंगे।

6.2 निविदाकारों द्वारा विक्रय किये जा रहे भंडारित धान के अवलोकन/निरीक्षण संबंधी अनुमति पत्र का विवरण जिला कार्यालय में एक पंजी में संधारित किया जायेगा ।

6.3 भण्डारित स्कंध का विक्रय, लॉट की संपूर्ण मात्रा के आधार पर किया जा रहा है, इसलिए स्कंध के निरीक्षण उपरांत पात्र निविदाकार द्वारा यदि परिशिष्ट-01 में उल्लेखित किसी गोदाम/ लॉट में भण्डारित स्टॉक की मात्रा व गुणवत्ता के संबंध में लिखित या मौखिक आपत्ति जिला कार्यालय अथवा कार्पोरेशन/विपणन संघ मुख्यालय में दर्ज की जाती है, तो भी परिशिष्ट-01 में उल्लेखित लॉट मात्रा ही मान्य की जाएगी। उक्त सूचना/जानकारी/आपत्ति के आधार पर निविदा को निरस्त/स्थगित नहीं किया जाएगा। स्कंध "जहाँ है, जैसा है" के आधार पर ही विक्रय किया जायेगा ।

6.4 यदि किसी निविदाकार द्वारा ई-ऑक्शन प्रस्तुत किये जाने की दिनांक एवं समय तक किसी स्कंध का निरीक्षण नहीं किया जाता है तो यह ई-ऑक्शन की नियत दिनांक व समय में परिवर्तन का आधार नहीं होगा एवं ऐसी स्थिति में ई-ऑक्शन की नियत दिनांक व समय में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

7. निविदा दस्तावेज पर हस्ताक्षर :-

स्वामित्व/फर्म/कंपनी/अविभाजित हिन्दू परिवार के अधिकृत निविदाकार पदाधिकारी ही निविदा फॉर्म पर हस्ताक्षर करें। वे हैसियत का वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। वैध प्रमाण पत्र के अभाव में ई-ऑक्शन में भाग नहीं लेने दिया जायेगा ।

क्र.	निविदाकार का स्वरुप	निविदा कौन भर सकेगा
1	एकल स्वामित्व	स्वामी स्वयं अथवा उसका मुख्त्यारनामा धारी अधिकृत व्यक्ति
2	भागीदारी/पार्टनरशिप फर्म	सभी भागीदार अथवा उनका मुख्त्यारनामा धारी अधिकृत व्यक्ति
3	प्राइवेट/पब्लिक कम्पनी	निविदाकार को राज्य/ भारत सरकार/ राज्य सरकार के प्राधिकरणके सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निगमन प्रमाण पत्र / पंजीकरण प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति के रूप में दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न करें ।
4	अविभाजित हिन्दू परिवार	परिवारकर्ता जिसके नाम पर मुख्त्यारनामा है ।
5	पंजीकृत संस्था/शासकीय/अर्द्धशासकीय उपक्रम	पंजीकृत संस्था/शासकीय/अर्द्धशासकीय उपक्रम के सक्षम अधिकारी अथवा उनके अधिकृत व्यक्ति

8. अमानत राशि (EMD) का निर्धारण एवं रिजर्व प्राईस का विवरण:-

8.1 खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में उपार्जित धान का निर्धारित रिज़र्व प्राइस राशि रु. 1681/-(रू. एक हजार छ: सौ इक्यासी मात्र) प्रति क्विंटल है । उक्त निर्धारित रिजर्व मूल्य से कम की बिड भी निविदाकार प्रस्तुत कर सकता है ।

8.2 परिशिष्ट-1 में विक्रय हेतु उल्लेखित प्रत्येक लॉट के लिये कंडिका-8.1 अनुसार निर्धारित रिजर्व प्राईस के मान से लॉट की कुल राशि की 1 प्रतिशत राशि अथवा 50 मे. टन से कम मात्रा का लॉट होने के दशा में न्यूनतम 10,000 रू.(दस हजार रूपये) के आधार पर उस लॉट की EMD निर्धारित की गई है ।

8.3 निविदाकार को निविदा में भाग लेने हेतु इच्छुक लॉट के लिए परिशिष्ट-1 में उल्लेखित EMD की राशि ई-ऑक्शन पोर्टल पर ऑनलाईन जमा करनी होगी ।

8.4 जिन निविदाकरों द्वारा परिशिष्ट -01 में उल्लेख अनुसार संबंधित लॉट के लिए EMD राशि ऑनलाईन ई-ऑक्शन पोर्टल पर जमा की गई हो व निविदा दस्तावेज में उल्लेखित समस्त अर्हताओं को पूर्ण करते हो तब ही वे ई-ऑक्शन में भाग ले सकेंगे ।

8.5 निविदाकार द्वारा जितने लॉट्स के लिये निविदा प्रस्तुत की जा रही है उतने लॉट्स की EMD पृथक-पृथक जमा करना होगी ।

8.6 क्रेता द्वारा कंडिका 8.2 अनुसार जमा की गयी ई.एम.डी. राशि को सफल निविदाकार द्वारा क्रयं किये जाने वाले स्कंध की कुल मूल्य राशि में समायोजित किया जायेगा । शेष विक्रय राशि विक्रेता को पोर्टल के माध्यम से नियत समय सीमा में भुगतान किया जाना होगा ।

8.7 असफल निविदाकारों की जमा EMD राशि सफल निविदाकारों को निविदा दरों की स्वीकृति पत्र जारी करने के उपरांत पोर्टल के माध्यम से संबंधित असफल निविदाकार के बैंक खाते में वापस कर दी जाएगी अथवा असफल निविदाकार की सहमति से सेवा प्रदाता जमा ई.एम.डी. राशि को आगामी ई-ऑक्शन के ई.एम.डी. के लिये इस्तेमाल कर सकता है । परन्तु EMD की वापसी में यदि किसी प्रकार का विलम्ब होता है तो उक्त विलम्ब अवधि पर कोई भी ब्याज देय नहीं होगा ।

9 ई-नीलामी में भाग लेने एवं ऑफर दर प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

9.1 ई-नीलामी हेतु प्रस्तावित एक ही स्टॉफ को कार्पोरेशन से पेनलबद्ध सभी सेवा प्रदाताओं द्वारा ई-ऑक्शन पोर्टल पर एक साथ एक ही समय पर ई-नीलामी में रखा जायेगा ।

9.2 निविदाकार को निविदा हेतु निर्धारित दिनांक व समय के अनुसार ही ई-ऑक्शन में बिड प्रस्तुत करनी होगी ।

9.3 धान की ई-नीलामी लॉट के आधार पर होगी, निविदाकार को पूरी लॉट के लिये बोली लगानी होगी ।

9.4 सफल निविदाकार उस पूरे लॉट को उठाने के लिये बाद्ध होगें जिसके लिये उन्होंने बोली लगायी है, बाद में आंशिक रूप से उठाने के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जायेगा ।

9.5 निविदाकार को ई-नीलामी हेतु नियत समय पूरा होने के पूर्व क्रय के लिये लॉटवार मूल्य उत्घोषित करना होगा ।

9.6 ई-नीलामी सत्र नियत समयावधि 45 मिनट की अवधि के लिये खुला रहेगा । नीलामी सत्र के अंतिम अवधि के 3 मिनट में यदि कोई बिड प्राप्त होती है तो ऐसी दशा में नीलामी के समय में 5 मिनट का विस्तार होगा । ऐसे अधिकतम 3 विस्तार होंगे ।

9.7 इच्छुक निविदाकार उल्लेखित नियम एवं शर्तों के अनुसार सेवा प्रदाता (पोर्टल) द्वारा उपलब्ध करायी गई ऑनलाईन सिस्टम पर अपनी ऑफर दरें प्रस्तुत करें ।

9.8 निविदाकारों को प्रस्ताव पर प्रत्येक लॉट के लिये भारतीय रूपये क्विंटल में बोली लगानी होगी ।

9.9 इन्क्रीमेंटल टिक साईज 1.00 (एक रूपये) होगी ।

9.10 ई-नीलामी के दौरान एक निविदाकार अपनी बोली को मौजूदा उच्चतम बोली से अधिक वृद्धिशील मूल्य तक संशोधित कर सकता है । दूसरी बोली के बाद प्रत्येक ई-नीलामी सत्र में प्रदर्शित वर्तमान उच्चतम बोली पर अधिक बोली पर होनी चाहिए ।

9.11 ई-नीलामी सत्र के दौरान बोलियों को रद्द करने की अनुमति नहीं होगी । सेवा प्रदाताओं के पोर्टल पर लगायी बोली की पुष्टि हेतु अंको एवं शब्दों में दोहरी प्रदर्शित किये जाने की व्यवस्था दी गई है । निविदाकार द्वारा उक्त प्रक्रिया पूरी करने के उपरांत ही बिड सबमिट होगी । निविदा सबमिट करने के उपरांत त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया के लिये, निविदा लगाने के बाद, गलत उदाहरणों के लिये खरीददार के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जायेगा । निविदा प्रक्रिया के दौरान क्रेता को पोर्टल पर दरों की प्रविष्टि करते समय सावधान रहना चाहिए ।

9.12 निविदाकार के उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड का उपयोग करके रखी गई कोई भी बोली निविदाकार पर बिना शर्त बाध्यकारी मानी जायेगी, जिसने ई-नीलामी के उद्देश्य के लिये अन्य बातों के साथ-साथ अपना स्वंय का

उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड जनरेट करके सेवा प्रदाता पोर्टल के साथ पंजीकृत किया है बोलीदाता ऐसे उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड के तहत् होने वाले सभी गतिविधियों के लिये पूरी तरह से जिम्मेदार होगा । इसलिये उपयोगकर्ता को ई-नीलामी से पहले उपयोगकर्ता नाम एवं पासवर्ड की जांच करने की सलाह दी जाती है और सलाह दी जाती है कि इसे किसी और को न बतायें ताकि इसका दुरूपयोग रोका जा सके ।

9.13 सेवा प्रदाता पोर्टल द्वारा ई-नीलामी हेतु नियत समयावधि के पश्चात् कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी । यदि इस प्रकार की स्थिति परिलक्षित होती है तो संबंधित सेवा प्रदाता पोर्टल ई-नीलामी कार्य से पृथक कर कार्पोरेशन की ई-नीलामी में भाग लेने हेतु ब्लेकलिस्ट कर दिया जायेगा ।

9.14 ट्रांजेक्शन चार्ज-: सेवा प्रदाता सुपर एच 1 निविदाकार से कुल ट्रेड वेल्यू का ....(लागू होने पर जी.एस.टी. अतिरिक्त) का ट्रांजेक्शन चार्ज लेगा ।

10 निविदा प्रस्तुति के समय उत्पन्न तकनीकी अवरोध :-

10.1 यदि उक्त पोर्टल पर कोई तकनीकी समस्या आती है अथवा कोई तकनीकी त्रुटि होती है तो भी निविदा प्रस्तुति का निर्धारित समय नहीं बढाया जायेगा । किसी तकनीकी अथवा बैंक के सर्वर इत्यादि समस्या के कारण से ईएमडी ऑनलाईन जमा न कर पाने पर निविदा मान्य नहीं की जाएगी एवं उक्त बिड किसी अन्य माध्यम यथा ई-मेल, डाक अथवा भौतिक रूप से किसी भी दशा में स्वीकार नहीं की जायेगी।

10.2 निविदाकार के स्तर पर होने वाले पावर फेलियर, इन्टरनेट की गति अथवा किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या के लिए कार्पोरेशन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी ।

11. निविदा का मूल्यांकन :-

निविदा का मूल्यांकन किसी लॉट हेतु ई-ऑक्शन पोर्टल पर अधिकतम प्राप्त शुद्ध दर के आधार पर किया जावेगा । निविदाकार को अपनी ऑफर दर राशि रूपये प्रति क्विंटल में उल्लेखित करनी होगी । इसके अतिरिक्त यदि कोई कर केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा घोषित कर/ अन्य कोई शुल्क हो, तो वह पृथक से क्रेता को भुगतान करना होगा ।

12. निविदा दर की वैधता अवधि :-

समस्त निविदाकारों द्वारा प्रस्तुत दरें वित्तीय निविदा प्रक्रिया की समाप्ति के उपरांत सामान्यतः आगामी 30 कार्य दिवस तक वैध रहेंगी एवं अपरिहार्य स्थिति में वैधता अवधि 30 कार्य दिवस से बढ़ाकर 45 कार्य दिवस तक की जा सकेगी। इस वैधता अवधि में स्वीकृत दरों पर निविदाकार, निविदा प्रावधान अनुसार अनुमोदित लॉट की राशि जमा कर अनुबंध करने एवं धान के उठाव हेतु बाध्य होगा।

13. निविदा में उच्चतम दर व सफल निविदाकार का निर्धारण:-

13.1 सेवा प्रदाता द्वारा ई-ऑक्शन में प्राप्त ऑफर दरों का लॉट वार तुलनात्मक पत्रक तैयार किया जाएगा । लॉट वार प्राप्त अधिकतम दर को उस लॉट की **H-1** दर माना जायेगा ।

13.2 लॉटवार प्राप्त **H-1** दरों की स्वीकृति हेतु **परिशिष्ट 05** में दिये गये प्रारूप में प्रस्ताव सेवा प्रदाताओं द्वारा कारपोरेशन की पंजीकृत ई-मेल आईडी पर उसी कार्य दिवस में समय 01:30 **pm** तक अनिवार्य रूप से प्रेषित किया जायेगा ।

13.3 **Super H1 निर्धारण की प्रक्रिया-** कार्पोरेशन के सभी पैनलबद्ध सेवा प्रदाताओं से लॉटवार एच 1 दर प्राप्त होने पर कार्पोरेशन द्वारा सभी पैनलबद्ध सेवा प्रदाताओं से प्राप्त एच 1 दरों की तुलना कर उच्चतम ऑफर दर को ई-नीलामी के लिए लॉटवार सुपर **H-1** ऑफर दर के रूप में निर्धारण किया जाएगा ।

13.4 यदि कार्पोरेशन के सभी पैनलबद्ध सेवा प्रदाताओं से प्राप्त लॉटवार एच 1 दरों में दो या दो से अधिक निविदाकारों द्वारा प्रस्तुत एच 1 दर समान पायी जाती है तो सुपर एच 1 दर के निर्धारण में वरीयता उस निविदाकार को दी जाएगी जिसने समय के संदर्भ में अपनी निविदा पहले प्रस्तुत की है ।

13.5 कार्पोरेशन उचित विचार-विमर्श के बाद सुपर **H-1** मूल्य पर अपने निर्णय के बारे में सेवा प्रदाताओं को सूचित करेगा । हालांकि, कार्पोरेशन अपने विवेक पर सुपर **H-1** बोली को अस्वीकार भी कर सकता है ।

13.6 ई-नीलामी के अंतिम परिणाम सभी निविदाकारों के लिए बाध्यकारी हैं और नीलामी सत्र के समापन और पुष्टि के बाद प्राप्त किसी भी अनुरोध या रद्दीकरण, निविदाकारों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा और कार्पोरेशन द्वारा जारी किसी भी वस्तु की आगे की निविदाओं/ई-नीलामी में भाग लेने से वंचित कर दिया जाएगा ।

14. विक्रय मूल्य जमा करने की प्रक्रिया एवं निर्देश:-

14.1 कार्पोरेशन द्वारा सुपर एच 1 दर की स्वीकृति की सूचना पोर्टल के माध्यम से सेवा प्रदाताओं को ई-मेल के द्वारा संसूचित की जावेगी । सेवा प्रदाता पोर्टल का दायित्व है कि वह तत्काल उसी कार्य दिवस अथवा आगामी कार्य दिवस तक क्रेता को स्वीकृति की सूचना अनिवार्यत: देगा ।

14.2 स्वीकृति की सूचना प्राप्ति दिनांक से सेवा प्रदाता यथा संभव उसी दिन या एक बैंक कार्य दिवस के भीतर ईएमडी राशि कार्पोरेशन के बैंक खाते जैसा परिशिष्ट 6 में उल्लेखित है, हस्तांतरित करेगा एवं इसकी सूचना पूर्ण विवरण के साथ कार्पोरेशन की ई-मेल आईडी पर तत्काल प्रेषित करेगा ।

14.3 क्रेता द्वारा कंडिका 14.5 अनुसार निर्धारित बैंक कार्य दिवस में सेवा प्रदाता पोर्टल के माध्यम से शेष विक्रय मूल्य की राशि जमा की जायेगी जिसे सेवा प्रदाता एक बैंक कार्य दिवस में कार्पोरेशन/विपणन संघ के द्वारा उल्लेखित बैंक खाता परिशिष्ट 6 के अनुसार अनिवार्य रूप से जमा करा कर कार्पोरेशन को तत्काल सूचित करेगा ।

14.4 सफल निविदाकार को नीचे दी गयी तालिका में उल्लेखित समयावधि में शेष विक्रय मूल्य की राशि कार्पोरेशन/विपणन संघ के उल्लेखित बैंक खाते परिशिष्ट 6 के अनुसार सेवा प्रदाता पोर्टल के माध्यम से जमा कराया जाना अनिवार्य एवं बंधनकारी होगा।

डिलीवरीऑर्डर की मात्रा (मे.टन में)	**संपूर्ण विक्रय राशि जमा किये जाने हेतु समयावधि**
500 (मे.टन)	3 बैंक कार्य दिवस
500 (मे.टन) से 1000 (मे.टन) तक	5 बैंक कार्य दिवस
1000 (मे.टन) से 2000 तक	7 बैंक कार्य दिवस
2000 (मे.टन) से 5000 तक	10 बैंक कार्य दिवस
5000 (मे.टन)	10 बैंक कार्य दिवस

14.5 लॉट की मात्रा 5000 MT से अधिक होने पर सफल निविदाकार विक्रय मूल्य की राशि अधिकतम दो किश्तों में जमा कर सकेगा। सफल निविदाकार द्वारा जमा की गई राशि अनुसार ही कार्पोरेशन/विपणन संघ द्वारा धान की मात्रा का डिलीवरीऑर्डर जारी किया जायेगा ।

14.6 यदि सफल निविदाकार नियत समयावधि में शेष विक्रय मूल्य की राशि जमा करने में असफल रहता है तो शेष लंबित राशि को अधिकतम दो माह की अवधि तक 15% वार्षिक ब्याज सहित शेष विक्रय मूल्य की राशि जमा कर धान का उठाव कर सकेगा ।

14.7 सफल निविदाकार को विक्रय मूल्य की राशि जमा करने हेतु कंडिका-14.4, 14.5 एवं 14.6 में उल्लेखित अवधि के अलावा कोई अतिरिक्त अवधि प्रदान नहीं की जायेगी । सफल निविदाकार यदि उक्त अवधि में भी विक्रय मूल्य जमा करने में असमर्थ रहते हैं तो उनके द्वारा प्रस्तुत ऑफर दर को अमान्य करते हुए बिना किसी सूचना के उनके द्वारा जमा की गई EMD राशि कारपोरेशन द्वारा राजसात कर ली जायेगी ।

14.8 **निविदा दरों में TDS/TCS के संबंध में प्रावधान-** ई-ऑक्शेन सर्विस प्रोवाइडर द्वारा आयकर की धारा 194O के अंतर्गत 1 प्रतिशत की दर से आयकर टी.डी.एस. का कटौत्रा कर, काटी गई राशि जमा कर कार्पोरेशन/विपणन संघ के पेन नंबर का. उल्लेख करते हुये त्रैमासिक आयकर विवरणी दाखिल की जायेगी एवं दाखिल किये आयकर विवरणी की छायाप्रति कार्पोरेशन/विपणन संघ को उपलब्ध करायी जायेगी ।

15 ट्रांजेक्शन चार्ज के रूप में सेवा प्रदाता सुपर एच 1 निविदाकार से कंडिका 9.14 में उल्लेखित ट्रांजेक्शन चार्ज से अधिक राशि वसूल नहीं करेगा ।

16 धान उठाव की प्रक्रिया :-

16.1 सर्विस प्रोवाईडर द्वारा सफल निविदाकार के संपूर्ण विक्रय राशि जमा किये जाने उपरांत डिलीवरी ऑर्डर जनरेट कर कार्पोरेशन/विपणन संघ की ई-मेल आईडी पर तत्काल प्रेषित करेंगे ।

16.2 कारपोरेशन/विपणन संघ द्वारा प्रत्येक गोदाम/कैप हेतु पृथक-पृथक डिलीवरी आर्डर जारी किया जायेगा ।

16.3 सेवा प्रदाता से विक्रय मूल्य के पूर्ण भुगतान की सूचना प्राप्त होने पर कार्पोरेशन/विपणन संघ द्वारा राशि प्राप्त होने की पुष्टि की जायेगी एवं सेवा प्रदाता द्वारा सिस्टम जेनरेटेड डिलीवरीऑर्डर जारी किया जायेगा ।

16.4 सफल निविदाकार अथवा सफल निविदाकार के प्रतिनिधि कार्पोरेशन/विपणन संघ मुख्यालय, भोपाल से ही डिलीवरीआर्डर प्राप्त करेंगे । डिलीवरीआर्डर सफल निविदाकार को ई मेल अथवा अन्य किसी माध्यम से प्रदाय नहीं किया जायेगा ।

16.5 निविदाकार के प्रतिनिधि के पास निविदाकार द्वारा जारी राशि रूपये 100/- के नॉन ज्यूडिश्यिल स्टाम्प पेपर पर अधिकार पत्र मय प्रतिनिधि के प्रमाणित फोटो एवं निविदाकार के प्रतिनिधि का फोटो युक्त वैध पहचान पत्र होना अनिवार्य है।

16.6 स्कंध की डिलीवरी सम्बंधित गोदाम पर कार्पोरेशन/विपणन संघ के प्रतिनिधि की उपस्थिति में की जायेगी। उक्त डिलीवरी में स्कंध की डिलीवरी कार्पोरेशन/विपणन संघ द्वारा निर्धारित धर्म कांटे अथवा तौल कांटे पर 100% तौल कर की जायेगी। स्कंध की डिलीवरी भण्डारण एजेंसी के घोषित कार्य अवधि में ही की जायेगी।स्कंध की डिलीवरी के पश्चात स्कंध की मात्रा में कोई कमी पाई जाती है, तो इस हेतु कार्पोरेशन/विपणन संघ की कोई जवाबदेही नहीं होगी ।

16.7 स्कंध की डिलीवरी के दौरान होने वाली विभिन्न गतिविधियों जैसे स्टेक को तोड़ना, हम्माली, लोडिंग, तौल, इत्यादि पर होने वाले समस्त व्यय क्रेता को वहन करने होंगे।

16.8 स्कंध डिलीवरी के समय प्रति क्विंटल मान से अधिकतम 2.5 बारदाने ही कारपोरेशन/विपणन संघ द्वारा दिए जायेंगे। अतिरिक्त बारदाने दिये जाने की स्थिति में क्रेता को बारदाने की राशि कार्पोरेशन/विपणन संघ के संबंधित जिला कार्यालय में जमा करनी होगी।

16.9 क्रय मूल्य के अतिरिक्त अन्य देय वैधानिक कर (मण्डी शुल्क को छोड़कर) शुल्क एवं खर्चे अथवा अन्य कारित व्यय, जो भी यदि हों क्रेता को वहन करना होगा ।

16.10 एक बार स्कंध की डिलीवरी हो जाती है, उसके पश्चात कार्पोरेशन/विपणन संघ की कोई जवांबदेही नहीं होगी ।

16.11 कार्पोरेशन/विपणन संघ द्वारा स्कंध की डिलीवरी के बाद इनवाइस जारी किया जायेगा ।

16.12 सफल निविदाकार द्वारा क्रय की गई मात्रा से वास्तविक रूप से उपलब्ध मात्रा में यदि कोई कमी पाई जाती है तो क्रेता को स्कंध की डिलीवरी वास्तविक उपलब्धता के आधार पर की जाएगी । ऐसी स्थिति में स्कंध के मात्रात्मक कमी की पूर्ति, किसी अन्य गोदाम या स्थान से किसी भी स्थिति में नहीं की जाएगी। कम प्रदाय मात्रा की राशि निविदाकार को कारपोरेशन/विपणन संघ द्वारा अंतिम मिलान उपरान्त वापस की जायेगी ।

16.13 सफल निविदाकार द्वारा क्रय की गई स्कन्ध की मात्रा से वास्तविक रूप से उपलब्ध मात्रा, यदि नमी आदि के कारण अधिक पाई जाती है तो क्रेता को उक्त लॉट की नमी आधिक्य सहित पूर्ण मात्रा की डिलीवरी लेना अनिवार्य होगा । इस हेतु अधिक प्रदाय की गई मात्रा की राशि निविदाकार द्वारा कार्पोरेशन/विपणन संघ के सम्बंधित जिला कार्यालय में जमा करना होगी ।

18 धान स्कंध के उठाव की समयावधि:-

18.1 सफल निविदाकार को क्रय किये गए धान के विक्रय मूल्य की राशि जमा करने के उपरांत क्रय किये गए धान की पूर्ण मात्रा को कंडिका -18.2 में धान के उठाव हेतु निर्धारित समय सीमा में उठाव की कार्य योजना अनिवार्य रूप से कारपोरेशन/विपणन संघ के मुख्यालय को तत्काल प्रस्तुत करना होगी, ताकि कारपोरेशन/विपणन संघ द्वारा आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।

18.2 धान के उठाव हेतु निम्न तालिकाओं के अनुसार समयावधि निर्धारित की जाती है:-

गोदाम एवं कैप में भण्डारित धान के उठाव हेतु -

डिलीवरीऑर्डर की मात्रा (मे.टन में)	फ्री लिफ्टिंग की समयावधि
500 (मे.टन)	7 कार्य दिवस
500 (मे.टन) से 2000 (मे.टन) तक	15 कार्य दिवस
2000 (मे.टन) से 5000 (मे.टन) तक	20 कार्य दिवस
5000 (मे.टन)	25 कार्य दिवस

18.3 धान के उठाव हेतु कंडिका 18.2 में उल्लेखित समयावधि की गणना डिलीवरीऑर्डर के जारी होने की दिनांक से की जायेगी ।

18.4 रेल रेक से स्कंध के उठाव की स्थिति में कंडिका 18.2 में उल्लेखित समय सीमा ही मान्य की जायेगी। क्रेता के द्वारा समय पर रेलवे की रेक नहीं भरी जाती है तो इस हेतु लगने वाली समस्त दंड/पेनल्टी वहन करने की ज़िम्मेदारी क्रेता की होगी ।

18.5 स्कंध के उठाव में यदि क्रेता द्वारा कंडिका क्र.18.2 में उल्लेखित समयावधि पश्चात् किसी भी प्रकार का विलम्ब किया जाता है तो पेनाल्टी के रूप में उक्त लॉट में जितनी मात्रा का उठाव क्रेता द्वारा किया जाना शेष है, उक्त शेष मात्रा हेतु, वर्तमान भडारण शुल्क की दरों पर क्रेता द्वारा कार्पोरेशन/विपणन संघ के जिला कार्यालय के खाते में न्यूनतम 1 माह के गुणांक में भंडारण शुल्क जमा करने पर, उठाव की गति एवं परिस्थितियों आदि का अवलोकन करने के पश्चात उठाव की अवधि में वृद्धि की जा सकेगी किंतु यह वृद्धि अधिकतम 01 माह तक होगी।

18.6 कंडिका- 18.4 अनुसार समय वृद्धि के उपरान्त भी क्रेता द्वारा स्कंध की प्राप्ति नहीं की जाती है तो डिलीवरीआर्डर को रद्द मान्य करते हुए क्रेता द्वारा जमा ईएमडी सहित समस्त शेष राशि जब्त कर ली जायेगी एवं उठाव हेतु शेष मात्रा प्रदाय नहीं की जायेगी।

19 **निविदाकार से अपेक्षित सावधानियां :-**

19.1 निविदा के दौरान निविदाकार द्वारा ऑफर की गई दर को निविदाकार द्वारा निरस्त नहीं किया जा सकेगा।

19.2 निविदा प्रक्रिया के परिणाम समस्त निविदाकारों पर बंधनकारी होंगे। निविदा उपरान्त यदि किसी निविदाकार द्वारा ऑफर दर को निरस्त करने अथवा परिवर्तन करने हेतु आवेदन किया जाता है तो सम्बंधित निविदाकार की अमानत राशि राजसात की जायेगी।

19.3 निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाले समस्त निविदाकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे निविदा प्रक्रिया में जिम्मेदारी से भाग ले एवं ऐसी कोई भी दर नहीं प्रस्तावित करे जो अव्यवहारिक हो एवं जिससे निविदा की सहज प्रक्रिया प्रभावित हो और जिससे बाजार का सन्तुलन प्रभावित होता हो। यदि कोई ऐसे प्रकरण प्राप्त होते है जिसमें निविदाकार द्वारा ऐसा कोई कृत्य किया जाता है जिससे निविदा की सहज प्रक्रिया प्रभावित होती है अथवा ऐसी कोई प्रस्तावित की जाती है जो अव्यवहारिक है एवं जिससे बाजार का संतुलन बिगड़ता है, तो सम्बंधित निविदाकार को बिना किसी सूचना के निविदा प्रक्रिया से बाहर कर अमानत राशि राजसात की जायेगी। इस संबंध में कारपोरेशन/विपणन संघ द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं संबंधित निविदाकारों पर बंधनकारी होगा ।

19.4 सुपर H-1 को स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने के साथ साथ किसी भी लॉट की मात्रा में परिवर्तन करने का पूरा अधिकार राज्यस्तरीय समिति को होगा। इस पर निविदाकार की कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

20 **क्रेता की अकर्मण्यता:-**

निम्नलिखित प्रकरणों को क्रेता की अकर्मण्यता मान्य किया जावेगा:-

20.1 सफल निविदाकार द्वारा निर्धारित समयावधि में निर्धारित अमानत राशिएवं विक्रय मूल्य आदि न जमा किया जाना, क्रेता की अकर्मण्यता माना जायेगा |

20.2 सफल निविदाकार द्वारा स्कंध के उठाव हेतु निर्धारित समय सीमा में उठाव न किया जाना, क्रेता की अकर्मण्यता माना जायेगा।

20.3 उक्त अकर्मण्यता हेतु निविदाकार के विरुद्ध इस निविदा पत्रक की विभिन्न कंडिकाओ में दिए गए प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

20.4 ऑनलाइन पोर्टल के सेवा शुल्क अथवा अन्य व्यवहारिक खर्चो का भुगतान क्रेता द्वारा नहीं किया जाना, क्रेता की अकर्मण्यता मना जायेगा।

20.5 उक्त अकर्मण्यता हेतु निविदाकार के विरुद्ध इस निविदा पत्रक की विभिन्न कंडिकाओं में दिए गए प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

21 **सेवा प्रदाता के दायित्व-:**

21.1 सेवा प्रदाता द्वारा अधिक से अधिक क्रेताओं का पंजीयन पोर्टल पर कर ई नीलामी में अधिक से-अधिक संख्या में भागीदारी हेतु यथोचित प्रयास किया जाना । इस हेतु सेवा प्रदाता द्वारा अपने स्तर से समुचित प्रचार प्रसार किया जावे ।

21.2 सेवा प्रदाता द्वारा क्रेता से एस्क्रो एकांउट में ईनीलामी में भागीदारी नहीं कराई -जमा कराये बिना ई .डी.एम. जावेगी ।

21.3 सेवा प्रदाता पोर्टल द्वारा ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया जावे, जिससे कार्पोरेशन की छवि प्रभावित हो । ई-नीलामी की प्रक्रिया को पूर्ण पारदर्शिता के साथ संपादित किया जाये ।

22 **नियम बनाने का अधिकार/ व्याख्या करना/ निर्देश दिये जाना :-**

कार्पोरेशन के प्रबंध संचालक के पास धान विक्रय की इस निविदा संबंधी नीति बनाने व उक्त सन्दर्भ में निर्देश दिये जाने एवं किसी भी धारा की व्याख्या करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। निविदा दस्तावेज एवं अनुबंध के प्रावधानों के विषय में अभिप्राय (Interpretation) के संबंध में कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर कार्पोरेशन/विपणन संघ के प्रबंध संचालक का निर्णय उभय पक्षों के लिये अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

23 **संविदा को शासित करने वाले कानून/ विधि:-**

संविदा, तत्समय भारत में प्रभावशील कानूनो/विधियों द्वारा शासित अर्थात लागू होगा।

24 **क्षतिपूर्ति :-**

क्रेता द्वारा की गई देरी, अकर्मण्यता, स्कंध प्राप्ति में असफलता, निविदा की शर्तो के उल्लंघन, वैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन, से कार्पोरेशन/विपणन संघ को होने वाली क्षति, क्लेम, मुआवजे, दंड, एवं अन्य समस्त प्रकार की क्षति के विरुद्ध क्षतिपूर्ति की जिम्मेदारी क्रेता की होगी व हानि की समस्त क्षति की उनसे वसूली की जायेगी।

25 **अप्रत्याशित घटना: (फोर्स मेजर) :-**

27.1 अप्रत्याशित घटना अर्थात ऐसी स्थिति अथवा परिस्थितियों का समावेश जो कि किसी भी पक्षकार के नियंत्रण से परे है, जो कि पूर्ण विवेक से निविदा की शर्तो का पालन करने एवं समस्त प्रकार की सावधानी रखने के बाद भी रोकी नहीं जा सकती । ऐसी परिस्थितियां जो कि समस्त पक्षकार को निविदा के समस्त प्रावधानों को पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से पालन करने से रोकती हो । ऐसी परिस्थितियों में शामिल है :- (a) प्राकृतिक आपदा जैसे आग, सूखा, बाढ़, भूकंप, महामारी इत्यादि (b) दुर्घटना जैसे कि- इंडस्ट्रियल दुर्घटना, आतंवाद इत्यादि (c) हड़ताल, लॉकडाउन, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इत्यादि (d) युद्ध, दंगा, बंद, सिविलवार (e) किसी नवीन कानून की उद्घोषणा अथवा वर्तमान कानून में संशोधन, किसी प्रकार की निषेधाज्ञा, न्यायालयीन आदेश अथवा कोई सरकारी आदेश जो कि पक्षकारों को निविदा के प्रावधानों को आंशिक अथवा पूर्ण रूप से पालन करना रोके (अन्य कोई परिस्थिति जो कि उपरोक्त परिस्थितियों के समकक्ष हो)

27.2 निविदा के समस्त पक्षकार इस बात पर सहमत है कि इस निविदा दस्तावेज के समस्त प्रावधान अप्रत्याशित घटना के अधीन है जो कि ऐसी परिस्थिति अथवा परिस्थितियों का समावेश है जो कि समस्त पक्षकारों के नियंत्रण से परे है।

27.3 कोई भी पक्षकार उक्त परिस्थितियो के कारण राशि के भुगतान की बाध्यता को छोड़कर अन्य होने वाली देरी अथवा अकर्मण्यता के लिए ज़िम्मेदार नहीं रहेंगे ।

27.4 अप्रत्याशित घटना घटित होने के दौरान कार्पोरेशन/विपणन संघ के पास पूर्ण अधिकार है कि वह निविदा दस्तावेज के किसी भी प्रावधान को परिवर्तित कर सकते है एवं विशेष परिस्थिति में अप्रत्याशित घटना घटित होने की समयावधि में अनुबंध को रद्द भी कर सकते है। क्रेता इस बात से पूर्ण सहमत है कि उनके पास इस प्रकार अनुबंध रद्द होने के विरुद्ध आपत्ति दर्ज करने अथवा कानूनी सहायता प्राप्त करने के कोई अधिकार नहीं होंगे।

27.5 क्रेता इस बात से पूर्ण सहमत होते है कि यदि अप्रत्याशित घटना की स्थिति लम्बी अवधि तक बनी रहती है तो कार्पोरेशन/विपणन संघ द्वारा अनुबंध को पूर्णतः समाप्त भी किया जा सकता है एवं क्रेता के पास इस प्रकार अनुबंध समाप्त किये जाने के विरुद्ध आपत्ति दर्ज करने अथवा कानूनी सहायता प्राप्त करने के कोई अधिकार नहीं होंगे।

27.6 अप्रत्याशित घटना घटित होने के तीन दिवस के भीतर उभय पक्ष परस्पर इस घटना से अवगत करायेंगे एवं इस सम्बन्ध में कारपोरेशन/विपणन संघ का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

26 **भ्रष्ट आचरण:-**

किसी भी निविदाकार द्वारा किसी भी प्रकार के भ्रष्ट आचरण जैसे रिश्वत, कमीशन, लालच आदि के माध्यम से निविदा प्रक्रिया को प्रभावित नहीं किया जाएगा।

27 **सामान्य प्रावधान:-**

27.1 **शासकीय कानून-** इस निविदा प्रक्रिया का संचालन भारत गणराज्य के सामान्य विधिक नियमों के अधीन है। इस निविदा के समस्त पक्षकार इस बात पर सहमत है कि किसी भी प्रकार से विवाद की स्थिति में मामले का न्यायिक क्षेत्र भोपाल होगा।

27.2 **संवेदनशीलता-** यदि इस निविदा दस्तावेज का कोई भी प्रावधान अमान्य पाया जाता है अथवा लागू करने योग्य नहीं पाया जाता है तो इस निविदा दस्तावेज के अन्य प्रावधान जो कि मान्य है एवं लागू करने योग्य है, वे यथावत रहेंगे। समस्त पक्षकार इस बात से सहमत है कि निविदा दस्तावेज के अमान्य प्रावधान को मान्य प्रावधान से इस प्रकार बदला जाएगा कि दस्तावेज का मूल प्रयोजन एवं आर्थिक प्रभाव यथावत रहे।

27.3 **समस्त दस्तावेज:** यह निविदा दस्तावेज, इसके समस्त परिशिष्टो एवं संदर्भित प्रावधानों के साथ सम्पूर्ण दस्तावेज का कार्य करता है जिसका उपयोग पक्षकारो द्वारा आगामी व्यवहार में किया जावेगा।

28 **उपयुक्त कानून, विवादों का निराकरण एवं अधिकार क्षेत्र:-**

28.1 यह निविदा दस्तावेज इसके समस्त पक्षकारों के मध्य व्यवहार का आधार है जो कि भारत गणराज्य के सामान्य कानून के अधीन है एवं इसी भी प्रकार के विवाद के निराकरण हेतु अधिकार क्षेत्र केवल भोपाल स्थित न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, जबलपुर के पास सुरक्षित है और समस्त पक्षकार इस बात पर सहमत है कि किसी भी प्रकार के विवाद के निराकरण हेतु वे प्रकरण को उपरोक्त न्यायालयों में प्रस्तुत कर सकेंगे।

28.2 इस निविदा दस्तावेज एवं इसके संचालन से सम्बंधित समस्त विवाद जैसे कि किसी प्रावधान की व्याख्या, किसी प्रावधान की वैधता, पक्षकारों के अधिकार एवं कर्तव्य, का निराकरण प्रथमतः आपसी चर्चा के अनुसार निराकृत किये जाने के प्रयास किये जायेंगे, जिसके असफल होने पर उक्त विवाद का निराकरण मध्यस्थता के आधार पर किया जाएगा । आर्बीट्रेटर, आयुक्त सह संचालक(खाद्य), खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल होंगे । मध्यस्थता की प्रक्रिया मध्यस्थता एवं सूलह अधिनियम 1996 (अभी तक के संशोधन सहित) के अधीन होगी । मध्यस्था का स्थान भोपाल, मध्यप्रदेश होगा एवं मध्यस्थता की भाषा हिंदी अथवा अंग्रेजी होगी।

28.3 इस दस्तावेज का कोई भी प्रावधान कार्पोरेशन/विपणन संघकोनिविदाकार के विरुद्ध न्यायालय में अंतरिम निषेधाज्ञा की राहत प्राप्त करने का अधिकार होगा।

28.4 सफल निविदाकार स्थानीय कानून, श्रम कानून आदि का पालन करने हेतु बाध्य होंगे।

29 किसी भी निविदा को बिना कारण बताये पूर्ण/ आंशिक, मान्य, अमान्य करने का अधिकार प्रबंध संचालक को है ।

30 **कार्पोरेशन/विपणन संघ का कर्त्तव्य:-**

एक बार क्रेता द्वारा सम्पूर्ण राशि का भुगतान कर दिया जाता है तो उक्त के पश्चात कार्पोरेशन/विपणन संघ यथासंभव क्रेता को स-समय स्कंध का डिलीवरीआर्डर जारी कर स्कंध की डिलीवरी देगा । भंडारण स्थान पर स्कंध की मात्रात्मक कमी की स्थिति में कंडिका- 16.11 अनुसार कम प्रदाय मात्रा की राशि निविदाकार को कार्पोरेशन/विपणन संघ द्वारा अंतिम मिलान उपरांत 07 कार्य दिवस में भुगतान की जायेगी ।

परिशिष्ट-।

KMS 2020-21 में कार्पोरेशन/ विपणन संघ द्वारा उपार्जित धान के विक्रय हेतु जिलावार, संग्रहण केन्द्रवार धान के लॉट का विवरण पत्रक

उपार्जन एजेन्सी-मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन

(मात्रामे.टन)

क्र.	जिला	भंडारण एजेंसी	भंडारण शाखा	गोदाम/कैप का नाम	गोदाम/शेड/शेड/ प्लेटफार्म क्र.	भण्डारित मात्रा	लॉट की मात्रा	लॉट क्रमांक	लॉट की EMD राशि रू. में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	जबलपुर	MARKFED	गोसलपुर केप	गोसलपुर केप	1	3000	3000	331	504300
2					2	3000	3000	332	504300
3					3	3000	3000	333	504300
4					4	2864	2864	334	481438
5		MPWLC	SWC जबलपुर	बीजापुर केप	1	3000	3000	335	504300
6					2	3000	3000	336	504300
7					3	3023	3023	337	508166
8			बरखेड़ा	बरखेड़ा केप	1,2,3,4,5	1226	1226	338	206091
9			SWC सीहोरा	बंदर कोला केप	1	3000	3000	339	504300
10					2	3000	3000	340	504300
11					3	3000	3000	341	504300
12					4	3000	3000	342	504300
13					5	3000	3000	343	504300
14					6,7	4583	4583	344	770402
15			SWC शाहपुरा	भरतपुर केप	1	3000	3000	345	504300
16					2	3000	3000	346	504300
17					3,4	4273	4273	347	718291
18			बरखेड़ा	हृदय नगर केप	1	3000	3000	348	504300
19					2	3000	3000	349	504300
20					3,4	3320	3320	350	558092
21			SWC सीहोरा	दर्शानी केप	1	3000	3000	351	504300
22					2	3000	3000	352	504300
23					3	3000	3000	353	504300
24					4	3000	3000	354	504300
25					5,6	3928	3928	355	660297
26			तिलसानी	तिलसानी केप	1	661	661	356	111114
27			SWC जबलपुर	बर्गी मंडी क्रेप	1,2	4972	4972	357	835793
28				MPWLC मंडी	1A,1B,1C,3A	1783	1783	358	299722
29				कृषि उपज यूपी मण्डी हायर्ड	102	836	836	359	140532
30				72 शिवम एग्रो पार्क	72	125	125	360	21013
31				73 सीताराम एग्रो पार्क	73,74	398	398	361	66904
32				सिमोनी वेहा	89	852	852	362	143221
33				भतीजा वेहा	91	2643	2643	363	444288

क्र.	जिला	भंडारण एजेंसी	भंडारण शाखा	गोदाम/कैप का नाम	गोदाम/शेड/शेड/ प्लेटफार्म क्र.	भण्डारित मात्रा	लॉट की मात्रा	लॉट क्रमांक	लॉट की EMD राशि रु. में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34				93 विवेक अवस्थी वेहा	93	249	249	364	41857
35				96 ओमकार पटेल वेहा	96	354	354	365	59507
36				98 फजल वेहा	98 ,99,103A,10 3B	1456	1456	366	244754
37			SWC रिचई	नर्मदा वेहा	39	11	11	367	10000
38				फार्मर वेहा	37	2553	2553	368	429159
39				सिद्धार्थ वेहा	23	409	409	369	68753
40				राम गंगा वेहा	25	564	564	370	94808
41			SWC पाटन	सांई वेहा	52	231	231	371	38831
42				यश वेहा	44	983	983	372	165242
43				विनायक वेहा	41	87	87	373	14625
44			SWC भेड़ाघाट	श्यामा वेहा	60A	792	792	374	133135
45				मयंक वेहा	80	1936	1936	375	325442
46				सिद्धि विनायक वेहा	82,84	18	18	376	10000
47			SWC KARARI	युवराज वेहा	2	33	33	377	10000
48				ओम साई राम वेहा	1,2	3280	3280	378	551368
49				आयुष वेहा	5	1165	1165	379	195837
50				चंदा वेहा	8	1150	1150	380	193315
51				एम.एम.एग्रो पार्क	9	200	200	381	33620
52				ठाकुर वेहा	10	675	675	382	113468
53				विद्या सागर वेहा	12	700	700	383	117670
54				गोपी वेहा	24	2046	2046	384	343933
55				मां कस्तूरी वेहा	31	2274	2274	385	382259
56				खिलौना वेहा	34	156	156	386	26224
57				शिंडी वेहा	35	1995	1995	387	335360
58				अहिल्या वेहा	38	866	866	388	145575
59				वेष्णवी वेहा	39	4320	4320	389	726192
60				प्रियल वेहा	42	1237	1237	390	207940
61				कृष्णा वेहा	43	313	313	391	52615
62				मां शारदा वेहा	45	2403	2403	392	403944
63				धनराज वेहा	46	18	18	393	10000
64				जैनाम वेहा	64	2514	2514	394	422603
65			बरखेड़ा	MPWLC OWN	12,13,14,17, 18,20,22	4121	4121	395	692740
66			SWC BARKHEDA	श्री सांई समर्थ वेहा	11	572	572	396	96153
67				पानागर मण्डी	25	216	216	397	36310
68				न्यू सुभी वेहा	27	903	903	398	151794
69				सत्यम शिवम वेहा	28	2804	2804	399	471352

क्र.	जिला	भंडारण एजेंसी	भंडारण शाखा	गोदाम/कैप का नाम	गोदाम/शेड/शेड/ प्लेटफार्म क्र.	भण्डारित मात्रा	लॉट की मात्रा	लॉट क्रमांक	लॉट की EMD राशि रु. में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70				सिद्धि वेहा	30	641	641	400	107752
71			SWC SHAHPURA	ललितांबर वेहा	12	291	291	401	48917
72				बलवास्वनी वेहा	26	564	564	402	94808
73				ओम सांई राम वेहा	49	92	92	403	15465
74				ब्रिजमाला वेहा	63	117	117	404	19668
75				रघूवीर श्री वेहा	73	3000	3000	405	504300
76				रघूवीर श्री वेहा	78,83A	3803	3803	406	639284
77			SWC SIHORA ROAD	आशी वेहा	28	1307	1307	407	219707
78				स्वरसती वेहा	31	366	366	408	61525
79				तिरूपती वेहा	34,42,65	2301	2301	409	386798
80				शुक्ला एग्रो वेहा	43	2229	2229	410	374695
81				प्रखर वेहा	46	691	691	411	116157
82				श्री कृष्णा वेहा	48	710	710	412	119351
83				रघुवीर वेहा	52	1446	1446	413	243073
84				दादा जी वेहा	64	780	780	414	131118
85				मां विद्या वेहा	66	176	176	415	29586
86				सतगुरू वेहा	67	115	115	416	19332
87				पदमावति वेहा	70	1081	1081	417	181716
88				जय गोविंद वेहा	71	1917	1917	418	322248
89				श्री स्वरसती एग्रो वेहा	73	1594	1594	419	267951
90				पैता श्री वेहा	74	1890	1890	420	317709
91				माता श्री वेहा	75	731	731	421	122881
92				वियर श्री वेहा	76	948	948	422	159359
93				श्री लक्ष्मी वेहा	77	2004	2004	423	336872
94				मां नर्मदा वेहा	79	541	541	424	90942
95				श्री राम वेहा	81	1298	1298	425	218194
96				अभिराज वेहा	82	1661	1661	426	279214
97				सिद्धार्थ वेहा	84	1773	1773	427	298041
98			SWC TILSHANI	प्रकाश वेहा	60,61	846	846	428	142213
Total						168004	168004		

परिशिष्ट-2

निविदाकार का परिचय एवं संक्षिप्त विवरण

निविदाकार अपना पासपोर्ट साइज का फोटो यहाँ चिपकायें निविदाकार को अपने स्वप्रमाणित हस्ताक्षर इस तरह करना होंगे जो आधे फोटो पर व आधे इस पेज पर आयें।

प्रेषक,

.... (निविदाकार का नाम एवं पूर्ण स्थायी पता)

....

....(कार्यालय का पता)

....

प्रति,

प्रबध संचालक

एम.पी.स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड

....

विषयः- खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में उपार्जित धान के विक्रय हेतु e-Auction बावत।

प्रिय महोदय,

एम.पी.स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लि. द्वारा धान के विक्रय करने हेतु प्रकाशित निविदा सूचना को व इस दस्तावेज को भली-भांति पढ़ व समझ लिया है। यह दस्तावेज हमारे द्वारा e-Auction portal ....से डाउनलोड किया है।

2. मैं/हम इस दस्तावेज की शर्तों व नियमों के पालन के लिये सहमत हूँ/ हैं।

3. उक्त कार्य के लिये अपनी/हमारी दरेंभर रहे हैं/रहा हूं ।

4. हमारा/मेरा विवरण निम्नानुसार है :-

स.क्र.	विवरण	विवरण
1	1. निविदाकार का पूरा नाम	
	पता	
	दूरभाषक्रमांक कार्यालय कोड संहित	
	निवास कोड सहित	
	मोबाईल नंबर	
	ई- मेल	
	फैक्स नंबर	
	2. फर्म का स्वरूप/एकल स्वामित्व/ भागीदारी फर्म/कंपनी अन्य निविदा पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का नाम व पद व हैसियत क्या पावर आफ अटार्नी है/अधिकार पत्र है	
	3. एकल स्वामी/का नाम व पिता का नाम व पता	
	फर्म की स्थिति में भागीदारों के नाम पिता के नाम सहित व पता	
	कंपनी अधिकृत व्यक्ति का नाम व पता	
	4. भागीदारों का विवरण- कृपया नाम बतायें	
	5. संस्था का पता व फोन नम्बर	
2	निविदाकार/निविदाकार संस्था को एकल स्वामित्व की स्थिति में राज्य के दुकान एवं स्थापना अधिनियम के अंतर्गत प्रमाणन/पार्टनरशिपडीड/कंपनी का रजिस्ट्रेशन/व्यापारिक लाईसेंस/मंडी बोर्ड का पंजीयन/जिला उद्योग एवं व्यापार का पंजीयन/लघु मध्यम, बड़े उद्योगों का भारत सरकार का पंजीयन/शासन/ शासकीय संस्था से व्यवसाय से संबंधित ऐसे प्रमाण पत्र जिसमें निविदाकार की स्थापना	

	का प्रमाणन है, जिसकी वैधता निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक तक होना चाहिये। उक्त में से कोई एक प्रमाण पत्र।	
3	बैंकर का नाम शाखा सहित (खाता क्रमांक लिखें) जिसमें पेमेन्ट किये जाते है। संबंधित बैंक खाते का एक कैंसल चेक अनिवार्य रूप से संलग्न करें।	बैंक का नाम .... बैंक का आई0एफ0एस0सी0कोड.......... बैंक एंकाउट नम्बर............. (बचत खाता/चालू खाता)
4	मेरी/हमारी गत वर्षो में अमानत /प्रतिभूति राशि कारपोरेशन/ विपणन संघ की किसी भी निविदा अंतर्गत राजसात की गई है । यदि हाँ तो विवरण दें ।	हाँ/ नहीं
5	क्या कभी आपको इस कारपोरेशन/ विपणन संघ द्वारा निविदा भरने या कार्य से प्रतिबंधित किया गया था। यदि हाँ तो विवरण दें।	हाँ/ नहीं
6	क्या आप को कभी किसी शासन/ शासकीय/ अर्द्धशासकीय संस्था द्वारा खाद्यान्न क्रय निविदा हेतु प्रतिबंधित, कालीसूची में रखा गया था। यदि हों, तो विवरण देवें व हां की स्थिति में समयावधि बतायें।	

यदि कारपोरेशन/विपणन संघ द्वारा हमें/मुझे धान विक्रय किया जाता है, तो हम/मैं निर्धारित अवधि में नियमानुसार प्रतिभूति राशि जमा करके अनुबंध करने के लिये पूर्णतः सहमत हैं/ हूँ।

मैं/हम यह शपथपूर्वक घोषणा भी करते हैं कि मुझे/हमें/हमारी फर्म/संस्थान/कंपनी को किसी शासकीय/अर्द्ध शासकीय/शासकीय एजेन्सी ने ऐसी निविदा कार्य हेतु प्रस्तुती की दिनांक तक काली सूची में दर्ज नहीं किया है/संबंधित संस्था की आगामी, निविदा में भाग लेने से वंचित नहीं किया है।

यदि उपरोक्तानुसार शपथ में जानकारी कोई असत्यता/त्रुटि पाई जाती है तो मेरी /हमारी निविदा निरस्ती योग्य होगी।

हम/मैं इसके द्वारा घोषित करते हैं/करता हूं कि निविदा फार्म तथा उसके साथ संलग्न परिशिष्टों में की गई प्रविष्टियां मेरे पूर्ण विश्वास एवं ज्ञान में सही है एवं इस हेतु मैं पूर्णतः उत्तरदायी रहूंगा ।

दिनांक

निविदाकार के हस्ताक्षर...

नाम ....

फर्म का नाम...

पूरा पता...

....

हैसियत ....

मुहर ....

नोट - इसमें अपेक्षित विवरण स्पष्ट रूप से भरें एवं संपूर्ण कॉलम में प्रविष्टि अति आवश्यक है, अन्यथा अपेक्षित विवरण के अभाव में निविदा निरस्त की जा सकती है

परिशिष्ट- 03

(जिला प्रबंधक/जिला विपणन अधिकारी के आधिकारिक लैटरहेड पर)

<u>अनुमति पत्र</u>

क्र./

दिनांक:

म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोरेशन लि.,मुख्यालय भोपाल द्वारा निविदा सूचना क्र. /........... , दिनांक:........ से खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में कार्पोरेशन/ विपणन संघ द्वारा उपार्जित धान 1.68 लाख मे. टन के विक्रय हेतु निविदा जारी की गई है। उक्त निविदा में जिला .... में खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में कार्पोरेशन/ विपणन संघ द्वारा उपार्जित धान ....मे. टन के विक्रय हेतु प्रस्तुत लॉट के अवलोकन/ निरीक्षण हेतु निविदा दस्तावेज की कंडिका क्र.-5 एवं कंडिका क्रं 6 के अनुक्रम में निविदाकार श्री/मेसर्स..................... को अनुमति प्रदान की जाती है |

श्री/मेसर्स.................. उक्त धान का निरीक्षण भंडारण एजेंसी के निर्धारित कार्य दिवस/ समय में, शाखा प्रबंधक MPWLC/MARKFED/CWC एवं प्रदाय केंद्र प्रभारी MPSCSC/MARKFED अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में कर सकेंगे |

जिला प्रबंधक/जिला विपणन अधिकारी
जिला-

पृ.क्र./

दिनांक:

प्रतिलिपि:

1. क्षेत्रीय प्रबंधक, म.प्र.स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड संबंधित
2. मंडल प्रबंधक म.प्र.राज्य सहकारी विपणन संघ संबंधित
3. जिला प्रबंधक, म.प्र. वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कारपोरेशन, सम्बंधित

जिला प्रबंधक/जिला विपणन अधिकारी
जिला-

परिशिष्ट- 04

(राशि रू. 100/- के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर)

शपथ पत्र

मैं................................आत्मजश्री...निवासी.......................................फर्म.............................
.....................पता..शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ कि म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लि., भोपाल द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2020-21के उपार्जित धान विक्रय हेतु प्रकाशित निविदा सूचना को व दस्तावेज को भली-भांति पढ़ एवं समझ लिया है ।

2. मैं/हम इस दसतावेज की शर्तों एवं नियमों के पालन के लिए सहमत हूँ।

3. उक्त कार्य के लिए अपनी/हमारी दरें प्रेषित कर रहा हूँ।

4. हमारा/मेरा विवरण निम्नानुसार है :-

क्रमांक	चाही गई जानकारी	जानकारी का विवरण
1.	निविदाकार का पूरा नाम	
	निविदाकार का पूरा पता	
	दूरभाषक्रमांक	
	निवास	
	मोबाईल नंबर	
	ईमेल	
2.	फर्म का स्वरूप/एकल स्वामित्व/ भागीदारी फर्म/ कंपनी एवं अन्यनिविदा पर हस्ताक्षर करने वाले का नाम व पद व हैसियत	
3.	संस्था का पता व फोन नंबर	
4.	बैंकर का नाम, खाता क्रमांक	बैंक का नाम-.. बैंक का आईएफएससीकोड-..................... बैंक अकाउंट नंबर ....

5. मैं प्रमाणित करता हूँ कि मुझे/मेरी फर्म/कंपनी/अविभाजित परिवार/पंजीकृत संस्था/शासकीयं/अर्ध्दशासकीय निकाय को भारत सरकार/राज्य शासन या उनके किसी शासकीय/अर्ध्दशासकीय सार्वजनिक उपक्रम द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।

6. यदि कार्पोरेशन/ विपणन संघ द्वारा हमें/मुझे खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में उपार्जित धान का विक्रय किया जाना है, को हम/मैं निर्धारित अवधि में धान का उठाव किए जाने हेतु पूर्णत: सहमत हैं/हूँ ।

7. मैं/हम यह शपथपूर्वक घोषणा भी करते हैं कि मेरे द्वारा उक्त निविदा प्रक्रिया के माध्यम से क्रय किया गए धान को किसी भी स्थिति में खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 अंतर्गत होने वाली धान की खरीदी में विक्रय हेतु नहीं लाया जाएगा ।

दिनांक :-

निविदाकार के हस्ताक्षर.....................

निविदाकार का नाम व पता

....

परिशिष्ट- 05

लॉटवार प्राप्त दरों की स्वीकृति हेतु पत्रक

Service Provider ID / Name	Auction ID as per MPSCSC	Commodity	Season	Lot Number	Lot Qty.	Bid price (Rs per qtl)	Total Lot Value (INR) (6x7)	Bid Log time	Bidder ID	Ranking
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Account Details of MPSCSC

Beneficiary Name	MP STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION LTD.
Beneficiary Bank	State Bank of India
Branch	Commercial Branch, Bhopal
Corporation Current A/CNo.	00000039841253729
IFSC Code	SBIN0001920

Account Details of MARKFED

Beneficiary Name	MP STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.
Beneficiary Bank	State Bank of India
Branch	Jehagirabad Branch, Bhopal
MARKFED Current A/C. No.	00000038781980022
IFSC Code	SBIN0001178

परिशिष्ट -07

Contact Details of e-Auction Service Providers

S.No.	e-Auction Service Providers	Authorised Person	e-mail ID	Contact no
01	Star Agribazaar Technology Ltd	Praveen Kumar	Praveen@agribazaar.com	7045912902
		Sushil Tiwari	sushil.tiwari@agribazaar.com	9302955111
02	NCDEX e-Market Ltd (NeML)	Jitesh Maheshwari	jitesh.maheshwari@neml.in	9331742243
		neml helpline	askus@neml.in	022-61201000

Contact Details of Nodal Officer from MPSCSC

1. Madhya pradesh State Civil Supplies Corporation Limited

Block No. 1, 3rd Floor, , Paryavas Bhawan, Mother Teresa Marg, Bhopal (M.P) 462011

Contact Details of Nodal Officer from MPSCSC
Name of Officer: Mr. Rajnish Rai (AGM, Milling)
Contact Details: 7974429001
E-mail ID: mpscscmilling@gmail.com

2. Madhya Pradesh State Civil Supplies Corporation Limited

Office Complex , Block 'A' Gautam Nagar, Bhopal (M.P) 462011

Contact Details of Nodal Officer from MPWLC
Name of Officer: Mr. O. P. Kushwaha (General Manager, Finance)
Contact Details: 9425026422/ 8839624107
E-mail ID: hompwlc@gmail.com

3. Madhya Pradesh State Cooperative Marketing Federation Limited

Jahangirabad, Bhopal (M.P) 462008

Contact Details of Nodal Officer from MPMARKFED
Name of Officer: Bhawna Seyke (Manager)
Contact Details: 9926205820
E-mail ID: gmmilling2020@gmail.com